मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना

चर्चा में क्यों?

9 मई, 2022 को झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 'मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना' में विगत ढाई वर्ष में तीन गुना लाभ स्वरोज़गार अपनाने वालों को दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष में 3,976 युवाओं के बीच 59.61 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। परिणामस्वरूप स्वरोज़गार के लिये विगत दो वर्ष में तीन गुना युवाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।
- नई सरकार के गठन के साथ 'मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना' को पुन: शुरू कर इसका लाभ वर्ष 2021-22 से ही दिया जा रहा है।
- इसके तहत राज्य के 18 से 45 वर्ष के युवा नागरिकों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिये न्यूनतम दर पर 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके साथ-साथ 40% अनुदान (सब्सिडी) या 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है।
- योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएँ ही प्राप्त कर सकती हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-s-employment-generation-scheme